न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या **13/07** राजस्व अपील

श्रीमती हरबंसकौर पत्नि मलकीतसिह जाति मजबी निवासी चक 1 केडबल्यूएम 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

—अपीलान्ट

: ब ना म :

1. रतनसिंह पुत्र गंगासिंह जाति मजबी निवासी चक 1 केडबल्यूएम 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. रामललाल पुत्र रतनसिंह जाति मजबी निवासी चक 1 केडबल्यूएम 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट,1955 एवं
प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

उपस्थितिः—

1. अपीलान्टा के अधिवक्ता श्री धीरेन्द्रसिंह भदोरिया उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टान के अधिवक्ता श्री मेघाराम गोदारा हाजिर नही।
3. स्टेट की तरफ से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

: आदेश :

दिनांक 11.09.19

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने तहसीलदार (रा) खाजूवाला के आदेश दिनांक 27.08.06 जिसकी रूह से बिना बहस सुने एक तरफा तौर पर अपीलाण्ट का 183 'बी' आरटीए का प्रार्थना पत्र खारिज किया, से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलाण्टा को उसकी खातेदारी भूमि का कब्जा दिलाया जाये।

2— रेस्पोडेण्टान को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गयी।

3— तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4— विद्वान वकील अपीलाण्ट की बहस है कि अपीलाण्टा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आरटीए का पेश किया कि रेस्पोडेण्टान ने उसकी खातेदारी भूमि चक 1 केडबल्यूएम 'बी' के मुरब्बा नं. 77/62 के किला नं. 15 ता 25 की 11 बीघा कमाण्ड भूमि पर कब्जा कर रखा है जो छुड़ाया जाकर कब्जा दिलाया जावे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र बिना सुने खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे ना तो कोई साक्ष्य ली गयी और ना ही सुनवायी का अवसर दिया गया। मामले में सांठ गांठ कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्टा गरीब औरत जात है उसके साथ अन्याय हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाण्टा को उक्त भूमि का कब्जा दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

जिला कलेक्टर, बीकानेर

5– रेस्पोडेण्टान सं. 1 व 2 के असालतन/वकालतन हाजिर नहीं आने पर रेसपेडेण्टान सं0 3 स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी । विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायिक प्रकिया के अनुसार सुनवाई करते हुए उभयपक्ष को सुनकर आदेश पारित किये है। अपीलाण्टा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर जो आक्षेप किये गये है वे सही नहीं है। अतः अपीला अपीलाण्टा खारिज फरमायी जावे।

6– हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विधिवत सुनवाई नहीं हुई है। प्रार्थिया को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। ना ही उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना उभयपक्ष को सुने बिना बहस हेतु प्रकरण नियत किये सीधे ही फैसला कर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार(रा) खाजूवाला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.06 यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7– उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार खाजूवाला द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.8.06 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार (रा) खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की विधिवत विस्तृत जांच कर समुचित निर्णय पारित करे।

8– निर्णय आज दिनांक 11.09.19 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर